न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–03/2020

गोरख भगत एवं अन्य...वादीगण

बनाम

भिखारी भगत एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
29.01.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादीगण की ओर दिये गये आवेदन अंतर्गत परिसीमा अधिनियम की धारा 05 दिनांक 29.09.2021 आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 29.09.2021 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण वाद में उपस्थित हो गये लेकिन कोरोना महामारी के कारण अपना बयान तहरीरी दाखिल नहीं कर सके। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादीगण के द्वारा दाखिल बयान तहरीरी को दाखिल करने में हुये विलंब को माफ कर बयान तहरीरी स्वीकार करने की कृपा की जाय। वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 09.07.2024 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि आवेदन कानून एवं तथ्य की दृष्टिकोण से परिपालनीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल आवेदन न सत्यापित है और न शपथ पत्र से समर्थित है। प्रतिवादीगण द्वारा सही तथ्य को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन दिया गया है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–01 ता 06 एवं 08 दिनांक 11.02.2021 को अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए तथा पुनः दिनांक 29.09.2021 को प्रतिवादी सं0–02 ता 10 नवीन शक्ति पत्र के साथ बयान तहरीरी दाखिल किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–03/2020

गोरख भगत एवं अन्य...वादीगण

बनाम

भिखारी भगत एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 29.01.2025	सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादी सं0–02 ता 10 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–02 ता 10 का आवेदन दिनांक 29.09.2021 मो0–4500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। आगामी दिनांक 12.03.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	